न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–181 सन् 1989

नंद किशोर साह वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

कमला देवी अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 06.09.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.04.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी नं0 01 कमला देवी की मृत्यु की सूचना प्रतिवादी द्वारा मौखिक रूप से कहा गया लेकिन उनकी मृत्यु की तिथि एवं उनके वारिसानों का नाम प्रतिवादी द्वारा नहीं दिया गया है। तब मेरे द्वारा दिनांक 04.02.2022 को श्रीमान् के न्यायालय में एक आवेदन देकर प्रतिवादी सं0 01 की मृत्यु की तिथि एवं उनके वारिसानों का नाम की मांग की गई है। न्यायालय के आदेश के बाद दिनांक 25.03.2022 को दिया गया है कि प्रतिवादी सं0 01 कमला देवी की मृत्यु दिनांक 11.01.2022 को हो गई है। प्रतिवादी सं0 01 कमला देवी के वारिसानों का नाम उनके जगह पर प्रतिस्थापित होना अति आवश्यक है। कमला देवी अपने पीछे अपने पति, एक पुत्र एवं चार पुत्रियां को छोड़कर गई है। अतः निवेदन है कि अर्जीनालिस में प्रतिवादी सं0 01 कमला देवी का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर आवेदन में लिखित वारिसानों को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। वादी की ओर से धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने हेतु तथा आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दिनांक 29.04.2022 को दाखिल किया गया है, जिसमें उनका कथन है कि जिस बयानात के साथ वादी ने सवाल दाखिल किया है वह हरगिज स्वीकार होने योग्य नहीं है। बल्कि काबिले खारिज के है। वादीगण बिल्कुल झूठे

कथनों से प्रतिवादी को तंग वो परेशान करने के नियत से दाखिल किया है। वादीगण अंदर दफा–1 सवाल गलत है वादीगण ने यह गलत बयान किया है कि कमला देवी की मृत्यु की तारीख एवं उनके वारिसानों का नाम नहीं दिया गया है लेकिन प्रतिवादी जानबूझकर गलत सवाल दाखिल किए हैं बल्कि कमला देवी की मृत्यु दिनांक 11.01.2022 को हुई है और प्रतिवादी दिनांक 25.03.2022 को इसकी जानकारी दे चुके हैं। बेयान दु–2 ता 4 अंशतः सही वो अंशतः गलत है वादीगण साबित करें। प्रतिवादी सं0 01 कमला देवी की मृत्यु की तिथि तथा उसके वारिसानों का नाम तरदीद में न्यायालय को दे चुके हैं। जिसकी कॉपी वादीगण के अधिवक्ता रिसीव भी किए हैं। अतः निवेदन है कि तरदीद को स्वीकार कर प्रतिस्थापना आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 1 कमला देवी थी जिनकी मृत्यु दिनांक 11.01.2022 को अपने जायज वारिसन उनकी पति वो एक पुत्र एवं चार पुत्रियों जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0 1 कमला देवी का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके जायज वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं आदेश 22 नियम 9 के अंतर्गत अबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक.....को सुनवाई हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।